न्यायालयः अपर सैशन न्यायाधीश महवा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश: अनिता चौधरी प्रथम (RJ00837)

फौजदारी अपील संख्या–35/2020, सी आई एस नं0 70/2020

CNR NO–RJDS110000432014

राजू पुत्र छुट्ल्ली, जाति कोली, निवासी सालिमपुर, पुलिस थाना महवा जिला दौसा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 07.3.2014 न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा, पीठासीन अधिकारी बाल कृष्ण मिश्र आर.जे.एस बसिलसिले आपराधिक प्रकरण संख्या 86/2010 राज0 राज्य/राजू अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 354, 451 भा0 दं0 सं0

उपस्थित:

1. श्री सतीशचंद मीना विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।

2. श्री रतनचंद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

– निर्णय– **दिनांक: 19.8.2026**

1. अपीलांट/अभियुक्त राजू की ओर से यह अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला दौसा के आपराधिक प्रकरण संख्या 86/2010 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम राजू दिनांकित 07.03.2014 से व्यथित होकर न्यायालय अपर सैंशन न्यायाधीश बांदीकई कैम्प महवा के समक्ष पेश की गई, जो अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलांट/अभियुक्त को धारा 323, 341, 354, 451 भा0 दं0 सं0 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसको चुनौती देते हुए यह अपील पेश की गई है, जिसका एतद्द्वारा निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं दिनांक 25–01–10 को परिवादी लच्छो ने थाना महवा को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0। इस आशय की पेश की कि ''दिनांक 23–1–10 को सायं करीब 4 बजे वह अपने छोटे बच्चों के साथ घर काम रही थी, उसका पति बाहर मजदूरी करने गया था तो पीछे से राजू पुत्र छोटल्ली कौली निवासी सालिमपुर आया और गन्दी हरकते करने लगा, प्रार्थीया से कहा कि आज घर पर कोई नही है, उसके साथ संभोग कराले, आंख मिचकाने लग गया, प्रार्थीया ने ऐसा न करने को कहा तो उसको जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया, उसको नीचे पटक दिया और पेन्ट की चैन खोलकर उसका पेटीकोट उठाकर बुरा काम करने का प्रयास किया तो प्रार्थीया ने इसका विरोध किया तो मुंह दबा दिया, छोटे बच्चे चिल्लाने लग गये तो प्रार्थीया के साथ गम्भीर मारपीट करने लग गया, बोबे दबाये,मुंह पर मुंह रखकर जबरदस्ती करने लग गया, कमरे में कोने में हथोडा उठाकर प्रार्थीया के सिर में मारा और बुरी तरह से लात–घूसों से मारपीट की, हल्ला मचाया तो भागकर धन्नी पत्नि मंगती व रामकिशन आये, जिन्होंने बीच बचाव कराया.....इत्यादि तहरीरी रिपोर्ट पर मु0 नं0 30/2010, अपराध अन्तर्गत धारा 376/511, 452, 323 भा०द०स० में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अपीलांट/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 323, 354, 451 भा0 दं0 सं0 में विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे धारा 341, 323, 354, 451 भा0 दं0 सं0 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में साक्ष्य में गवाह पी० डब्ल्यू० 1 रमेश कोली, पी० डब्ल्यू0 2 लच्छो, पी० डब्ल्यू० 3 धन्नी व पी० डब्ल्यू० 4 डा० अवधेश गौतम को पेश कर परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अपीलांट/अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 में परीक्षित किया गया तो अपीलांट/अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा एवं कथन किया कि गंदे पानी की निकासी की रंजिश की वजह से झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

7. बहस अपील सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व पत्रावली का अध्ययन किया गया।

8. इस प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह था कि–

1– क्या अभियुक्त राजू ने दिनांक 23.01.2010 को सायं चार बजे परिवादिया के घर में अपराध करने के आशय से उसकी अनुमति के बिना प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार किया एवं फरियादिया को जबरन विधि विरूद्ध तरीके से रोककर सदोष अवरोध कारित किया और उसके साथ छीना–झपटी कर उसके स्तनों को दबाया तथा उसके साथ मारपीट कर सामान्य प्रकृति की उपहतियां कारित की ?

2– यदि हां तो दण्डादेश क्या होगा ?

9. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/अभियुक्त का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रक्रिया एवं कानून के मूलभूत सिद्धान्त की अनदेखी कर दण्डादेश पारित कर भारी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया कि अभियोजन पक्ष की और से परीक्षित कराने गवाह पी.डब्लू. । लगायत 3 आपस में हितबद्ध है और परिवादिया से उनका खून का रिश्ता है, गवाह पी.डब्लू. 4 डा. अवधेश गौतम के द्वारा दिये गये बयानों पर भी कोई गोर नहीं किया, जबकि इस गवाहान ने अपने बयानों में प्रतिपरीक्षा में चोट का कलर लाल होने, अवधि में 24 घण्टे बताई है तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 4 में दर्शित चोट संख्या एक पर लाल कलर की पपडी चोट प्रतिवेदन तैयार करते समथ दर्शित की, जबकि घटना चोट प्रतिवेदन तैयार करने से 41 घण्टे की है, जिसका सीधा अर्थ यह होता है की चोट संख्या । की अधिकतम अवधि 24 घण्टे के अन्दर की हो सकती है तो 41 घण्टे पूर्व की घटना में इस चोट का आना कैसे भी सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण गवाहान एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य बंद कर दी गई है, जिससे गवाहान से प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिल सका है।

10. उनका यह भी तर्क रहा है कि स्वयं मजरूबा/परिवादी ने अपने बयान

की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा उसके मुंह पर बटका भर लिया कथन किया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्श पी. 4 चोट प्रतिवेदन में मुंह पर टीथ बाईटिंग की कोई चोट नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया कि साक्षियों के कथनों में आपस में भारी विरोधाभाष है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू. 1 घटना पर मौजूद नहीं था तथा पी.डब्लू. 3 धन्नी भी उसके बयानों के मुताबिक घटना स्थल पर बाद में आयी थी, किसी भी गवाह द्वारा नवशा मौका साबित ना होते हुऐ भी प्रार्थी/अपीलाण्ट को दोषी करार देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है । पी.डब्लू. 01 रमेश जो परिवादिया का पति है उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि परिवादी का मकान ऊंचे पर है और अपीलाण्ट का मकान नीचे पर है, जिससे उनका घर का गन्दा पानी अपीलाण्ट के घर के दरवाजे के पास जाता है, इसी बात को लेकर औरतों में मात्र कहा सूनी हुई, जिससे अपीलाण्ट का कोई सराकार नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दण्डादेश पारित कर भारी भूल की है। अतः अपीलांट/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

11. वहीं दूसरी ओर अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को उचित व जायज ठहराया है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं बताई तथा अपीलांट/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. इस संबंध में उभय पक्षों के तर्को पर गौर किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष कुल चार साक्षियों को पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी पी0 ड0 1 रमेश कोली परिवादिया पी0 ड0 2 लच्छो का पति है, साक्षिया पी0 ड0 3 धन्नी परिवादिया की सास है, इस प्रकार उक्त तीनों ही साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर हितबद्ध साक्षी है एवं साक्षी पी0 ड0 4 डा0 अवधेश कुमार शर्मा प्रकरण का चिकित्सकीय साक्षी है।

13. यहां यह अवलोकनीय है कि परिवादिया लच्छो के द्वारा पुलिस थाना महवा में प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 के आधार पर यह प्रकरण संस्थित हुआ है, परिवादिया ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 में यह अंकित किया है कि ''दिनांक 23–1–10 को सायं करीब 4 बजे वह अपने छोटे बच्चों के साथ घर

काम रही थी, उसका पति बाहर मजदूरी करने गया था तो पीछे से राजू पुत्र छोटल्ली कौली निवासी सालिमपुर आया और गन्दी हरकते करने लगा, प्रार्थीया से कहा कि आज घर पर कोई नही है। उसके साथ संभोग कराले, आंख मिचकाने लग गया, प्रार्थीया ने ऐसा न करने को कहा तो उसको जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया, उसको नीचे पटक दिया और पेन्ट की चैन खोलकर उसका पेटीकोट उठाकर बुरा काम करने का प्रयास किया तो प्रार्थीया ने इसका विरोध किया तो मुंह दबा दिया, छोटे बच्चे चिल्लाने लग गये तो प्रार्थीया के साथ गम्भीर मारपीट करने लग गया, बोबे दबाये मुंह पर मुंह रखकर जबरदस्ती करने लग गया, कमरे में कोने में हथोडा उठाकर प्रार्थीया के सिर में मारा और बुरी तरह से लात–घूसों से मारपीट की,''। इस प्रकार परिवादिया ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 में अपीलांट/अभियुक्त के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के प्रयास से संबंधित तथ्य अंकित किये हैं। परिवादिया स्वयं न्यायालय के समक्ष पी0 ड0 2 के रूप में परीक्षित हुई है, इस साक्षिया ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 में अंकित कथनों को दोहराया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह का कहना है कि घटना के वक्त उसके अलावा व बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। जबकि पी0 ड0 3 धन्नी ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना गांव में लच्छो के घर की थी, लच्छो का बच्चा रो रहा था, वह वहां गई तो उसने देखा कि लच्छो नीचे पडी हुई थी और उसकी साडी उघडी थी और राजू उसके साथ मारपीट कर रहा था और वह लच्छो के हथोडा देकर भाग गया। साक्षी पी0 ड0 1 रमेश घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इस साक्षी ने घटना के बारे में उसकी पत्नी के द्वारा उसे बताये जाने का कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर पर नहीं था, मजदूरी करने गया था।

14. यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गवाह सूची में सात साक्षियों का नाम अंकित किया गया है, जिसमें साक्षी क्रम सं0 3 रामभरोसी एवं क्रम सं0 4 रामकिशन को चक्षुदर्शी साक्षी होना बताते हुए उनके बयान धारा 161 द0 प्र0 सं0 लेखबद्ध किये गये हैं, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों को तलब कर परीक्षित नहीं किया गया है और ना ही अनुसंधान अधिकारी लालसिंह को ही परीक्षित किया गया है। जिससे उक्त स्वतंत्र साक्षियों से बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। उक्त साक्षियों को तलब किये जाने का कोई प्रयास विचारण न्यायालय द्वारा किया गया हो, ऐसा विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली

की आदेशिका दिनांक 17.6.2013 का अवलोकन करें तो प्रकट है कि उक्त दिनांक को गवाह रामकिशन उपस्थित था, किन्तु उक्त दिवस को अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण उक्त गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये, किन्तु उसके पश्चात उक्त गवाह को तलब करने का कोई प्रयास विचारण न्यायालय ने किया हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा आरोप पत्र में अंकित महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षीगण एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई है, जिससे बचावपक्ष को इन स्वतंत्र साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका है। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में केवलमात्र परिवादी के परिवार के साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय के संबंध में अपील में जो आधार लिये गये है, वे सुदृढ प्रतीत होते हैं। अतः विचारण न्यायालय को उक्त गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अतः अपीलांट/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

16. परिणामतः अपीलांट/अभियुक्त राजू पुत्र छुट्ल्ली, जाति कोली, निवासी सालिमपुर, पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से प्रस्तुत अपील दिनांकित 20.3.2014 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश दिनांक 07.3.2014 को अपास्त किया जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य सूची में वर्णित गवाहान सं0 3 रामभरोसी, गवाह सं0 4 रामकिशन एवं गवाह सं0 7 लालसिंह अनुसंधान अनुसंधान के बयान लेखबद्ध कर तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को पर्याप्त बचाव साक्ष्य हेतु अवसर देकर प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर निस्तारण करें। अपीलांट/अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03–9–2026 को उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाते हैं।

17. निर्णय की सत्यप्रति के साथ पत्रावली विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रतिप्रेषित की जावे।

(अनिता चौधरी प्रथम)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा जिला दौसा।

18. निर्णय आज दिनांक 19.08.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिता चौधरी प्रथम)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा जिला दौसा।